

माननीय श्री ए.के. एन्थोनी
रक्षा मंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

आदर महोदय
निवेदन है कि आवेदक महामाहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शौर्य पुरस्कार, अशोक चक्र से पुरस्कृत व्यक्ति है। प्रमाण स्वरूप अशोक चक्र के प्रमाणपत्र की द्वाया प्रति संलग्नक के रूप में अवलोकनीय है।

आवेदक के द्वारा पोस्टल कार्ड --- मूल्य दस रूपया --- संख्या --- दिनांक: 01-2014, भुगतान देय पोस्ट आफिस नई दिल्ली --- मूल रूप में इस आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को निम्न सूचनाएं अंत में दिये गये पते पर निर्धारित समय के अन्दर प्रदान करने हेतु आदेश प्रदान करने की महती कृपा करें।

अपेक्षित सूचना

(1) आवेदक, गोविन्द सिंह, अशोक चक्र प्राप्तकर्ता को रक्षामंत्रालय से सम्बद्ध अन्य अशोक चक्र विजेताओं की तरह भारत की सम्पूर्ण रेलगाड़ियों में यात्रा करने हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष की सम्पूर्ण अथवा कुछ रेलगाड़ियों हेतु रेल पास प्रदान किये जाने की सुविधा अनुमोदित है ?

(2) यदि नहीं --- तो क्या परिच्छेद (1) में उल्लिखित सुविधा प्रदान किये जाने, तथा भारतीय संविधान के प्राविधानों के अनुसार समानता के अधिकार का समादर करने पर विचार किया जा रहा है ?

सम्मान सहित।
दिनांक:

पता -
कुँवर गोविन्द सिंह
निवासी - ग्राम - गौर
पोस्ट आफिस - गदीमल हडा
जिला - हनुमानगढ़ (म० प्र०)
संलग्नक - 2 प्रतियाँ

आवेदक -
गोविन्द सिंह
कुँवर गोविन्द सिंह
(अशोक चक्र प्राप्तकर्ता)

संख्या: 174/K/2014 (संवेद्य)
 दिनांक: 01/01/2014
 संविधान/Date: 01/01/2014

(85)

Jle

By Speed Post
RTI Matter
(To be issued in Hindi)

No.VI.23014/132/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road, New Delhi
Dated:4th March, 2014

To

Shri Kunwar Govind Singh,
Gram-Gaur,
Post Office-Gadhimalhara,
Distt.-Chhatarpur (Madhya Pradesh).

Subject: Your application under the RTI Act-2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated Nil received in this unit on transfer on 14.02.2014.

2. In this regard, it is stated that the subject matter does not relate to this unit. The same may be related to Public Section (Administrative Division) of MHA. Accordingly, a copy of your application is being transferred to them under Section 6(3) of the RTI Act-2005 for providing information directly to you. Further, CPIO, Ministry of Defence has already transferred a copy of your application to the Railway Board, Ministry of Railway for appropriate action.

3. It may further be mentioned that the CPIO, Ministry of Defence, has intimated that the requisite fee of Rs.10/- has not been received along with your application.

4. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO

Copy transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005, to: Smt. Shyamala Mohan, Director (A&V) & CPIO, MHA, North Block, New Delhi along with a copy of RTI application of Shri Kunwar Govind Singh.

Copy for information to: Shri Saurabh Kumar, Deputy Secretary (Cer.) & CPIO, Ministry of Defence, South Block, New Delhi w.r.t. ID No.174/RTI/2014/D(Cer) dated 10.02.2014.